

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 54 / 2005

दायर दिनांक 04.04.2005

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. बजरंगसिंह पुत्र बभेसिंह, 2. दूलसिंह पुत्र चन्द्रसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-बगतपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिंह, 2. जगदीशसिंह पुत्र प्रहलादसिंह, 3. भागंसिंह पुत्र मोबसिंह, 4. रिडमलसिंह पुत्र मोबसिंह, 5. उम्मेदसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. जब्बरसिंह पुत्र मूलसिंह, 7. नवलसिंह पुत्र खेतसिंह, 8. सतपालसिंह पुत्र मूलसिंह, 9. कुशालसिंह पुत्र भगवतसिंह, 10. नवलसिंह पुत्र बनेसिंह, 11. नरपतसिंह पुत्र बनेसिंह, 12. भागसिंह पुत्र समानसिंह, 13. भँवरसिंह पुत्र फूलसिंह, 14. गणेशसिंह पुत्र किशनसिंह, 15. भँवरसिंह पुत्र चैनसिंह, 16. वाघकँवर पत्नी चैनसिंह, 17. विक्रमसिंह पुत्र भवानीसिंह, 18. दशरथ पुत्र भवानीसिंह, 19. औंकारसिंह पुत्र भवानीसिंह, 20. बख्तावरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 21. केशरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 22. अन्तरकँवर पत्नी रघुवीरसिंह, 23. गेन्दकँवर पत्नी भवानीसिंह, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-बगतपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 24. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

दावा बाबत  
बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 54/2005  
दायर दिनांक 04.04.2005, निर्णय दिनांक 27.06.2018  
वज्रगसिंह, वगैरा बनाम प्रहलादसिंह, वगैरा।

उपस्थित:-

1. पक्षकारान्।

--: निर्णय :-

दिनांक 27.06.2018


शरहद मौजा बगतपुरा के खेत खसरा संख्या 45 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 10 रकबा 15.01 बीघा तथा खसरा नम्बर 09 रकबा 0.09 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 के मध्य बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 08.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प-पीड़वा में पत्रावली पेश हुई।

तहसीलदार डीडवाना ने पत्रांक 415 दिनांक 27.02.2018 के जरिये विभाजन प्रस्तावित किया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् सहमत हैं। उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक, शरहद बगतपुरा के खेत खसरा संख्या 45 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 10 रकबा 15.01 बीघा तथा खसरा नम्बर 09 रकबा 0.09 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त विभाजन प्रस्ताव में वर्णितानुसार मौजूद है व इसी अनुरूप खातेदारी घोषित की जावे।

बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनांक 27.02.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद; संख्या 54/2005  
दाखर दिनांक 04.04.2005, निर्णय दिनांक 27.06.2018  
बजरंगसिंह, वगैरा बनाम प्रहलादसिंह, वगैरा।

### आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद बगतपुरा के खेत खसरा संख्या 45 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 10 रकबा 15.01 बीघा तथा खसरा नम्बर 09 रकबा 0.09 बीघा का बाई. मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 415 दिनांक 27.02.2018 में वर्णितानुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्नकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-पीड़वा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में

सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नायब)

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-पीड़वा

डिक्री व मुकदमा में इवटाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जांबा दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 54/2005

दायर दिनांक 04.04.2005

वादीगण	प्रतिवादीगण
<p>1. बजरंगसिंह पुत्र बनीसिंह, 2. दूलसिंह पुत्र चन्द्रसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-बगतपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिंह, 2. जगदीशसिंह पुत्र प्रहलादसिंह, 3. भागसिंह पुत्र मोबसिंह, 4. रिडमलसिंह पुत्र मोबसिंह, 5. उम्मेदसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. जब्बरसिंह पुत्र मूलसिंह, 7. नवलसिंह पुत्र खेतसिंह, 8. सत्तपालसिंह पुत्र मूलसिंह, 9. कुशालसिंह पुत्र भगवतसिंह, 10. नवलसिंह पुत्र बनेसिंह, 11. नरपतसिंह पुत्र बनेसिंह, 12. भागसिंह पुत्र समानसिंह, 13. भँवरसिंह पुत्र फूलसिंह, 14. गणेशसिंह पुत्र किशनसिंह, 15. भँवरसिंह पुत्र चैनसिंह, 16. बाघकँवर पत्नी चैनसिंह, 17. विक्रमसिंह पुत्र भवानीसिंह, 18. दशरथ पुत्र भवानीसिंह, 19. औंकारसिंह पुत्र भवानीसिंह, 20. बख्तावरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 21. केशरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 22. अन्तरकँवर पत्नी रघुवीरसिंह, 23. गेन्दकँवर पत्नी भवानीसिंह, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-बगतपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 24. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>

दावा बाबत

षन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.

दिनांक 27.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे  
व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मददायलह पेश  
होकर हुक्म दिया जाता है कि,

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

दावा डिक्री सादिर कर शरहद बगतपुरा के खेत खसरा संख्या 45 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 10 रकबा 15.01 बीघा तथा खसरा नम्बर 09 रकबा 0.09 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 415 दिनांक 27.02.2018 में वर्णितानुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
 .....-..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-.....  
 आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (मगोर)  
 कोर्ट कैम्प-पीडवा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (मगोर)  
 कोर्ट कैम्प-पीडवा